हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

4 वादी स्वयं अप. एवं प्रतिवादी के वकील उप. । विभाजन प्रस्ताव का इन्तजार होकर दि. 26.11.21 को पेश हो।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

26.11.21 वादी स्वयं उप. एवं प्रतिवादीगण के वकील उप.।

विभाजन प्रस्ताव इन्तजार होकर पत्रावली दि. 01.12.2021 को पेश हो।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

01.12.21 वादी स्वयं उप.। प्रतिवादीगण के वकील उप.।

तहसीलदार, पचपदरा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, [illegible] पर बहस सुनी गई, [illegible] वकील ने विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करने का निवेदन किया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:15:54 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	वादी के वाद को स्वीकार कर निर्णय अलग से लिखाया जारी जरिये डिक्री, डिक्री पश्चात 1951 कानून के स्टाम्प पेश होने पर जारी हो। खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती के कक्ष को
	(नरेश सोनी) सहायक कलक्टर (SDO) बालोतरा

और
वाद
स्वीक
जाकर
पत्रा
11-11-2

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:15:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 163/2021

वादी –अन्नाराम पुत्र दुर्गाराम जाति जाट निवासी मूलजी की ढाणी, जानियाना
तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. केवलचन्द पुत्र चुन्नीलाल जाति माली निवासी बालोतरा
2. प्रियका पुत्री केवलचन्द जाति माली निवासी बालोतरा
3. दौलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति कलबी निवासी माजीवाला
4. नवरतन पुत्र पुखराज जाति खारवाल निवासी पचपदरा
5. मोहनलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति माली निवासी बालोतरा
6. पुखराज पुत्र भंवरलाल जाति खारवाल निवासी पचपदरा
7. जगदीश पुत्र मोहनलाल जाति दर्जी निवासी बालोतरा
8. राजस्थान राज्य जरीय भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

दावा बाबत बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा व्यादेश धारा 53, 188 आर.टी.ए.

उपस्थितिः– 1. श्री अन्नाराम वादी स्वंय
2. श्री सोहनलाल बारूपाल अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6

दिनांक 01.12.2021

अन्तिम डिक्री

संक्षिप्त में वादीगण के वाद कथन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि मौजा मण्डापुरा तहसील पचपदरा में स्थित भूमि खसरा नं0 960 रकबा 11–10 बीघा के सम्बन्ध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 12.10.2021ततश्चात प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.10.2021को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन कर प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री विभाजन प्रस्ताव अपने पत्रांक 2029 दिनांक 25.11.2021 से तैयार कर उपलब्ध कराया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व मोके पर उभय पक्ष के रूबरू मोका देखा । विभाजन प्रस्ताव मोके के कब्जा काश्त के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 पक्षकारों की सहमति से तैयार किया गया प्रतिवेदित हुआ है जिसे स्वीकार करने में वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की सहमति अन्तिम डिकरी जारी करने का निवेदन किया गया। ऐसी स्थिति में वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की सहमति के आधार पर अन्तिम डिकरी जारी करने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है।

वादी के वाद एवं विभाजन प्रस्ताव को फाईनल रूप से निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर पक्षकारान की निम्न प्रकार से खातेदारी पृथक–पृथक विभाजित घोषित की जाती है।

क्रम सं.	नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान	रंग
1.	प्रियंका पुत्री केवलचन्द माली	960	01 बीघा	बा.अ.	0.50	केसरिया
2.	केवलचन्द पुंत्र चुन्नीलाल माली	960	01.05 बीघा	[illegible]	[illegible]63	आसमानी
3.	दौलाराम पुत्र दुर्गाराम कलबी नि. माजीवाला	960	01 बीघा	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	अन्नाराम पुत्र दुर्गाराम जाति जाट नि. मुलजी की ढाणी	960	[illegible]	बा.[illegible]	0.50	पहाड़ी
5.	नवरत्न पुत्र पुखराज जाति खारवाल	960	01 बीघा	बा.[illegible]	0.50	कब्बू
6.	पुखराज पुत्र भंवरलाल खारवाल	960	01.07 बीघा	बा.अ.	0.68	हरा
7	प्रियका पुत्री केवलचन्द माली 10/37, केवलचन्द पुंत्र चुन्नीलाल माली10/37,मोहनलाल पुत्र चुन्नीलाल माली, 135/370 पुखराज पुत्र भवरलाल खारवाल 7/74 हिस्सा,	960	00.18.10	बा.अ	0.46	जो[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:15:54 IST
Reason: SelfAttested